

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक : 01 मई, 2021

विषय:- दैनिक रूप से कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा आदि लगाने वाले पटरी दुकानदारों, पंजीकृत श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा/ई-रिक्शा चालक, कुली, पल्लेदार, नाविक, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि का राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर फीड किये जाने वाले डाटा की कास चेकिंग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

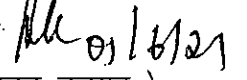
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-347/एक-11-2021-4(जी)/2015टी0सी0-2 दिनांक 18.05.2021 एवं शासनादेश संख्या-348/एक-11-2021-4(जी)/2015टी0सी0-2 दिनांक 19.05.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त सन्दर्भित शासनादेशों के माध्यम से दैनिक रूप से कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा आदि लगाने वाले पटरी दुकानदारों, पंजीकृत श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा/ई-रिक्शा चालक, कुली, पल्लेदार, नाविक, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि को धनराशि रू0 1000/- प्रति परिवार 01 माह के लिये दिये जाने तथा पात्र व्यक्तियों के चिन्हीकरण, डाटा संकलन एवं वेबसाइट पर फीडिंग हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3. पात्र व्यक्तियों के चिन्हीकरण, डाटा संकलन एवं फीडिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित किया जाना अतिआवश्यक है। अतः उक्त कार्य हेतु गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर फीड किये जाने वाले डाटा की कास चेकिंग किया जाना अपेक्षित है।

4. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर अपर जिलाधिकारी/जिला पंचायतीराज अधिकारी/अधिकासी अधिकारी/नगर आयुक्त के लॉगिन से फीड किये गये डाटा की जांच उपरोक्त शासनादेश द्वारा गठित समिति से स्वीकृत किये जाने से पूर्व 02 प्रतिशत डाटा की जांच/कास चेकिंग जिला स्तरीय समिति द्वारा सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ताकि फीडेड डाटा में किसी प्रकार की विसंगति की सम्भावना न रह जाये।

भवदीया,


(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।